[2019] 14 एस. सी. आर. 95

मध्य प्रदेश राज्य

वी.

किलू @कैलाश और ओआरएस।

(आपराधिक अपील सं। 1709-1710 2019 का)

नवंबर 19,2019

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.302 r/w। s.149-एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा हत्या-अभियोजन मामला कि पाँच अभियुक्त व्यक्ति

मृत्यु का कारण-सभी पाँचों को यू/एस दोषी ठहराया गया था। 302 आर/डब्ल्यू। 149 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता संख्या 2 और 4 घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने मृतक के महत्वपूर्ण हिस्सों पर प्रहार किए-हालाँकि, शेष तीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों को एस. की सहायता से दोषी ठहराया गया था। 149 आई. पी. सी. और उनके खिलाफ आरोप वे यह थे कि वे घर में प्रवेश कर चुके थे और लाठियों और बल्लम से लैस थे-उच्च न्यायालय ने कहा कि लाठियों और बल्लम से कोई चोट नहीं लगी थी और शेष तीन अभियुक्तों/अपीलार्थियों को बरी कर दिया। उत्तरदाताओं की उपस्थिति /

मृतक के घर में शेष तीन आरोपी; तथ्य यह है कि वे सशस्त्र थे; तथ्य यह है कि वे सभी आधी रात के आसपास घर में प्रवेश कर गए थे और आगे यह तथ्य कि उन पांचों अभियुक्तों में से दो ने मृतक की मौत का कारण बनने के लिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था, प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांतों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। 149 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय तीन अभियुक्तों को लाभ देने में न्यायोचित नहीं था-इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी होने को दरकिनार कर दिया गया और निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश ने सिद्धांतों/सिद्धांतों-प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को बहाल कर दिया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. उच्चतम न्यायालय के मामलों में स्वीकार किए गए और निर्धारित सिद्धांतों के बल पर, उनका दायित्व पूरी तरह से है

स्थापित किया गया। केवल इसलिए कि अन्य तीन अभियुक्त व्यक्ति

अर्थात् वर्तमान उत्तरदाताओं ने अपने हथियारों का उपयोग नहीं किया था

उन्हें उस जिम्मेदारी और प्रत्यावर्ती दायित्व से मुक्त न करें जिस पर आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप लगाने का विचार आधारित है। आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को लागू करने के लिए जो सामग्री स्थापित करने के लिए है वह यह है कि व्यक्ति

संबंधित सदस्य एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिसका सामान्य उद्देश्य एक विशेष अपराध करना था। तथ्य यह है कि पाँच व्यक्ति अलग-अलग हथियारबंद थे और घर में घुस गए थे

रात के समय मृतक की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उनमें से प्रत्येक उस गैरकानूनी सभा का सदस्य था, जिसका उद्देश्य उस अपराध को करना था जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। उन तीनों अभियुक्तों को लाभ देने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था। [पैरा 12] [104-एफ-एच]

2. सदन में उत्तरदाताओं की उपस्थिति

3. उच्च न्यायालय को इस संदेह पर विचार करने में उचित नहीं ठहराया गया था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उत्तरदाता केवल थे अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ नामित। इस तरह के संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। चश्मदीद गवाहों अर्थात् पत्नी और बेटे की गवाही, जो एक ही घर के निवासी थे, काफी स्पष्ट और ठोस थी। [पैरा 14] [105-सी]

मसाला वी। उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 8 एस. सी. आर. 133; महाराष्ट्र राज्य बनाम। रामलाल देवप्पा राठौड़ और अन्य (2015) 15 एससीसी 77: [2015] 11 एस. सी. आर. 357- पर निर्भर।

बलादीन बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1956 एस. सी. 181

संदर्भित किया गया।

—

मामला कानून संदर्भ

[1964] 8 एससीआर 133

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

पै

रा 9

ए. आई. आर. 1956 एससी 181

संदर्भित किया गया है

[2015] 11 एससीआर 357

उस पर भरोसा करें

मध्य प्रदेश का पैरा 10 ई v. किल्लू @KAILASH और ओआरएस।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

1709-1710 2019 से।उच्च न्यायालय, आध्या प्रदेश, सी. आर. ए. सं. में मुख्य सीट जबलपुर के दिनांक 29.06.2018 के निर्णय और आदेश से। 2676 2008 और

2009 में।

वरुण के. चोपड़ा, डिप्टी गवर्नर। एजी (एम. पी.), गुरतेज पाल सिंह, राहुल कौशिक,

अपीलार्थी के लिए।

एस. के. श्रीवास्तव, सुश्री के. एन. सिन्हा, अभिषेक शर्मा, डॉ. एस. के. ए., आर. आर. राजेश, वाई. के. प्रसाद, राजेश कुमार चौरसिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था उदय उमेश ललित, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें 29.06.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश पर सवाल उठाती हैं।

डी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर में आपराधिक मामले में

2008 का अल Nos.2676 और 2009 का 158।

3. अपील के तहत फैसले में बताए गए बुनियादी तथ्य इस प्रकार हैं -

:

" 3. अभियोजन की कहानी, संक्षेप में यह है कि, अभियुक्त/अपीलार्थी सं. 4 खुशिराम ने दंड प्रक्रिया संहिता में। 2008 की अपील No.2678, जो मृतक के बेटे के चाचा [मूसा] हैं, की बालाप्रसाद पाठक [मृतक होने के बाद से] के साथ कुछ दुश्मनी थी। वह अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ 23.05.2005 की आधी रात [2 बजे] बालाप्रसाद पाठक के घर में प्रवेश किया। मृतक अपने परिवार के सदस्यों के साथ सो रहा था। अभियुक्त/अपीलार्थी [Cr.Appeal No.2678/2008 में] अर्थात्; खुशिराम और हिम्मू @हेमचंद कुल्हाड़ी से लैस थे, अपीलार्थी देवेंद्र बल्लम और अन्य दो से लैस था।

आरोपी किलू @कैलाश और कैलाश नायक लाठी से लैस थे। दो अभियुक्त व्यक्ति; खुशिराम और हिम्मू @हेमचंद [अपीलकर्ता संख्या 2 और 4 सी. आर. में। अपील No.2676/2008] मृतक के व्यक्ति को कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाई गई। आरोप अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उकसाना है। मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट (पीडब्लू-5) रामेश्वर पाठक द्वारा दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच की और मामला दर्ज किया

चार्ज-शीट। मुकदमे के दौरान, अपीलकर्ताओं ने अपना अपराध छोड़ दिया और गुहार लगाई

निर्दोषता। ..... ”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 3-मृतक की पत्नी प्रभा रानी, पीडब्लू 4-देवेंद्र कुमार की गवाही पर भरोसा किया।

मृतक का बेटा और पीडब्लू 5-रामेश्वर पाठक, मृतक का एक रिश्तेदार, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ. आई. आर.') दर्ज की थी। एफ़. आई. आर. में बताया गया था कि हमले की जानकारी मिलने के बाद सूचना देने वाला मृतक के घर गया था जहाँ पी. डब्ल्यू. 3 ने उसे घटना के बारे में बताया, जिसके आधार पर सूचना देने वाले द्वारा रिपोर्ट की गई थी। पी. डब्ल्यू. 2-डॉ. की गवाही के माध्यम से चिकित्सा साक्ष्य सामने आया। आर. के. भारद्वाज, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने मृतक के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं:

" (i) खोपड़ी के बाएँ अग्र भाग पर घाव 4 "x1/2" हड्डी के नीचे और मस्तिष्क के पदार्थ को रक्त से भरे श्वसन गुहा में काटते हुए।

((ii) छाती के ऊपरी हिस्से में 5 "x 1" x 21 "घाव और

गर्दन के पूर्ववर्ती भाग को थोड़ा बायीं ओर तिरछा रखा गया है

खून बहाया और रक्त वाहिकाओं को काट दिया "।

उनके अनुसार, चोटें पोस्टमार्टम से पहले की थीं और मृतक की मृत्यु उन चोटों के कारण हुई थी। 5. नियत समय में, उक्त बालाप्रसाद पाठक की हत्या के संबंध में पांच अभियुक्तों पर निम्नलिखित दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दमोह, मध्य प्रदेश के समक्ष 2005 के सत्र परीक्षण संख्या 173 में आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 272। अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सभी पांच आरोपी एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और मृतक की मौत के सामान्य उद्देश्य के साथ उस दुर्भाग्यपूर्ण रात मृतक के घर में प्रवेश किया था और इस तरह, वे आई. पी. सी. की धारा 149 के साथ पठित दंडनीय अपराध के दोषी थे। उन्हें उपरोक्त अपराध का दोषी ठहराते हुए, निचली अदालत ने अपने दिनांक 19.12.2001 के फैसले द्वारा उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक को Rs.500/- की राशि में जुर्माना देने की सजा सुनाई, जिसकी चूक में, प्रत्येक दोषी को तीन के कठोर कारावास से गुजरना पड़ा।

महीनों तक। विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण को इस प्रकार चुनौती दी गई थी -

चार अभियुक्तों द्वारा 2008 की आपराधिक अपील No.2676 जबकि 2009 की आपराधिक अपील No.158 अभियुक्त कैलाश नायक द्वारा दायर की गई थी।

6. जहाँ तक आरोपी हिम्मू @हेमचंद और खुशिराम का संबंध है, जो धारदार हथियारों से लैस थे, उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार पाया:

मध्य प्रदेश का ई बनाम। किलू @कैलाश और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

" 16. अपीलकर्ता संख्या 2 और 4 अर्थात् हिम्मू @हेमचंद और खुशिराम कुल्हाड़ी, यानी घातक हथियारों से लैस थे। वे. मृतक के महत्वपूर्ण हिस्से पर वार किए गए, जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। कुल्हाड़ी से चोट पहुँचाने का सबूत अपीलकर्ता हिम्मू @हेमचंद और खुशिराम के खिलाफ है।

इसलिए, हमारी राय में, निचली अदालत ने अपीलार्थियों को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराया है। अन्य तीन अभियुक्त व्यक्ति अर्थात्; किल्ली @कैलाश और देवेंद्र (अपीलकर्ता संख्या 1)

आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता उनके खिलाफ आरोप है कि वे घर में प्रवेश किया और वे लाठियों और बल्लम से लैस थे। साक्ष्यों से यह तथ्य भी साबित हुआ है कि मृतक पर आई. पी. सी. की धारा302 का मुकदमा चल रहा था क्योंकि उसने एक राममिलान पाठक की हत्या की थी।

7. उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि अन्य तीन अभियुक्त लाठी और बल्लम से लैस थे, लेकिन कोई चोट नहीं थी और लाठी और बल्लम से जुड़े हो सकते हैं। उच्च न्यायालय ने, पहले, उक्त तीन अभियुक्तों को निम्नानुसार लाभ दिया:

" 21. उपरोक्त उद्धृत निर्णय से, कानून का सिद्धांत यह है कि "गैरकानूनी सभा के सदस्य ने किसी अन्य आरोपी द्वारा किए गए अपराध के लिए अपराध किया होगा, यदि उसे मुख्य आरोपी द्वारा किए गए कार्य के बारे में जानकारी है"। वर्तमान मामले में, सबूत है कि आरोपी मृतक के घर में घुस गया था और उसके बाद, दो अभियुक्तों ने कुल्हाड़ी से वार किया था। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर कोई प्रहार नहीं किया। यह है।

आरोप लगाया कि वे मौके पर मौजूद थे। अभियुक्त व्यक्तियों और मृतक के बीच पहले दुश्मनी थी, वह आपराधिक मुकदमे का भी सामना कर रहा था। इसलिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य तीन व्यक्तियों, जिन्होंने कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, को अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ नामित किया गया होगा।

22. अभिलेख पर साक्ष्य को देखते हुए, हमारी राय में, तीन अपीलार्थियों; किल्लू @कैलाश, देवेंद्र और कैलाश नायक, जो लाठियों और बल्लम से लैस थे और जिन्होंने आई. पी. सी. की धारा 149 की सहायता से कोई प्रहार नहीं किया था, को दोषी ठहराना उचित नहीं है। वहाँ

उचित संदेह से परे आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराध करने के लिए उन्हें दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूतों की कमी है।

9] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसलिए, अपीलार्थी कैलाश नायक (सी. आर.) द्वारा दायर अपील। अपील करें

नहीं. 158/2009) की अनुमति है।

23. क्र. चार अभियुक्तों/अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील No.2676/2008 आंशिक रूप से अनुमत है। अपीलकर्ता संख्या 2 और 4 द्वारा दायर अपील अर्थात्; हिम्मू @हेमचंद और खुशिराम को बर्खास्त कर दिया जाता है। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अपीलार्थी नं. 2 हिममू @हेमचंद जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड निरस्त कर दिए जाते हैं। शेष का सामना करने के लिए उसे निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

जेल की सजा।

24. अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 अर्थात् किल्लू @कैलाश और देवेंद्र [Cr.Appeal No.2676/2008] द्वारा दायर अपील एतद्वारा है।

अनुमति दी गई। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302/149 के आरोप से बरी कर दिया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध में

अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 अर्थात् किल्लू @कैलाश और देवेंद्र को इसके द्वारा अलग कर दिया गया है। अपीलार्थी किल्लू @कैलाश, देवेंद्र और कैलाश नायक जमानत पर हैं, उनके जमानत बांड जारी किए जाते हैं।

8. अभियुक्त किल्लू @कैलाश, देवेंद्र और कैलाश नायक को बरी किए जाने के आदेश से व्यथित राज्य ने तत्काल कार्रवाई को प्राथमिकता दी है।

सबसे पहले, हम मसाला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख मामले पर विचार कर सकते हैं। 1 उसमें अपीलार्थियों की प्रस्तुति केवल एक मामले में उपस्थिति थी। सभा किसी व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं बनाएगी

जब तक कि यह नहीं दिखाया गया था कि उसने कुछ किया था या कुछ ऐसा करने के लिए छोड़ दिया था जो उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य बना देगा। उक्त अपीलार्थियों द्वारा बलादीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2 में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर रिलायंस रखा गया था। इस मुद्दे को निम्नानुसार निपटाया गया थाः

.... जिस अवलोकन पर श्री साहनी भरोसा करते हैं, प्रथम दृष्टया,

ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनके तर्क का समर्थन करता है; लेकिन, सम्मान के साथ, हमें यह जोड़ना चाहिए कि उक्त अवलोकन को निर्धारित करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है

1 1 (1964) 8 एससीआर 133

2 ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 181 ई. मध्य प्रदेश बनाम। किलू @कैलाश और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

कानून का सामान्य प्रस्ताव है कि जब तक किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्य साबित नहीं होता है, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह ऐसी गैरकानूनी सभा का सदस्य है। प्रासंगिक अवलोकन के प्रभाव की सराहना करने में जिस पर

श्री साहनी ने अपना तर्क तैयार किया है, हमें उन तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो उस मामले में पाए गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि बलादीन 2 के मामले में, अपीलार्थियों के परिवार के सदस्य और गाँव के अन्य निवासी एक साथ एकत्र हुए थे; उनमें से कुछ ने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया, जबकि अन्य केवल निष्क्रिय गवाह थे। ऐसी सभा से निपटने के लिए, इस न्यायालय ने कहा कि एक सभा में एक व्यक्ति की उपस्थिति

इस तरह का होना जरूरी नहीं कि यह दर्शाता हो कि वह एक गैर-कानूनी सभा का सदस्य था। जिस व्यक्ति पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है, उसके खिलाफ यह साबित करना होगा कि वह सभा का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक था, और वह सभा के अन्य सदस्यों के साथ एस द्वारा परिभाषित सामान्य उद्देश्य का मनोरंजन किया। 141 , आई. पी. सी. की धारा 142 में प्रावधान है कि जो कोई भी किसी भी सभा को गैरकानूनी सभा बनाने वाले तथ्यों से अवगत है, वह जानबूझकर उस सभा में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, उसे गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, पांच या अधिक व्यक्तियों की एक सभा जो द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य वस्तुओं से प्रेरित होती है और उनका मनोरंजन करती है

एस के पाँच खंड। 141 , यह एक गैरकानूनी सभा है। अहम सवाल

ऐसे मामले में यह निर्धारित करना है कि क्या सभा में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने एस द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य वस्तुओं का मनोरंजन किया था। 141 . इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे और सभा के सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना बेकार जिज्ञासा के रूप में सभा में शामिल हुए थे। यह उस संदर्भ में है कि बलादीन 2 के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का महत्व है; अन्यथा, कानूनी रूप से, यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य माने जाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने कुछ अवैध कार्य किया था या कुछ अवैध चूक का दोषी था।

सभा के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में। वास्तव में, एस। 149 यह स्पष्ट करता है कि यदि उस [2019] 14 एस. सी. आर. के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाता है।

सभा, या उस सभा के सदस्यों के रूप में जाना जाता है

उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना, प्रत्येक व्यक्ति

जो उस अपराध को करने के समय। के सदस्य हैं

इस सिद्धांत को सामने लाता है कि एस द्वारा निर्धारित सजा। 149 है। एक अर्थ में वैकल्पिक और हमेशा आधार पर आगे नहीं बढ़ता है

कि अपराध वास्तव में प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है

गैरकानूनी सभा। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि

बलादीन 2 के मामले में की गई टिप्पणियों को पढ़ा जाना चाहिए

उस मामले के विशेष तथ्यों का संदर्भ और के रूप में माना नहीं जा सकता है

श्री साहनी जैसे कानून के एक अयोग्य प्रस्ताव को निर्धारित करना

सुझाव देते हैं "।

(हमारे द्वारा रेखांकित)

10. मसाला सहित मुद्दों पर विचार करने के बाद,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले को इस मामले में महाराष्ट्र राज्य बनाम रामलाल देवप्पा राठौड़ और

एस 3. निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैंः

" 22. हम इस स्तर पर प्रत्यावर्ती दायित्व के कानून पर विचार कर सकते हैं।

जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 149 में निर्धारित किया गया है। खंड में प्रमुख अभिव्यक्तियाँ

149 आई. पी. सी. हैंः

(क) यदि कोई अपराध किसी गैरकानूनी संगठन के किसी सदस्य द्वारा किया गया है। सभा;

(ख) उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में;

((घ) प्रत्येक व्यक्ति जो एक ही सभा का सदस्य है - अपराध का दोषी।

अपराध किया और साथ ही जो इसके सदस्य थे आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत अपराधों के लिए उत्तरदायी एक ही सभा, यदि

खंड की अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर

एक अपराध एक गैरकानूनी सभा के किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे उस सभा के सदस्य जानते थे कि होने की संभावना है

ऐसा करने पर उस सभा का प्रत्येक सदस्य अपराध का दोषी होता है।

5) 15 मध्य प्रदेश का एस. सी. सी. 77 बनाम। किलू @कैलाश और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

ई कानून स्पष्ट है कि गैरकानूनी सभा की सदस्यता पर्याप्त है

ऐसे सदस्यों को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराएँ।

3. इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। यू. पी. राज्य बनाम किशनपाल ने यह देखाः (एस. सी. सी पी. 93 , पैरा)

" 47 ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक बार गैरकानूनी सभा की सदस्यता स्थापित हो जाने के बाद यह स्थापित करना अभियोजन पक्ष का दायित्व नहीं है कि क्या किसी आरोपी को कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, गैरकानूनी सभा की मात्र सदस्यता पर्याप्त है और एक गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में या दूसरों द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है या ऐसा जो गैरकानूनी सभा के सदस्य गैरकानूनी हैं।

सभा को पता था कि प्रतिबद्ध होने की संभावना है।

इसके अलावा, अमेरिका राय बनाम। बिहार की स्थिति को इस रूप में मनाया गया था

देरः (एस. सी. सी पी. 682, पैरा 13)

" 13. आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व का कानून स्पष्ट है कि गैरकानूनी सभा में उपस्थिति, लेकिन सक्रिय दिमाग के साथ, सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति को गैरकानूनी कृत्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाता है।

सभा "।

24. गैरकानूनी सभा के उन सदस्यों का दायित्व, जिन्होंने वास्तव में अपराध किया है, अभिलेख पर साक्ष्य की प्रकृति और स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा। हालाँकि, उन लोगों के दायित्व और दोष की सीमा पर विचार करते हुए कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, जिनके पास वास्तव में नहीं हो सकता है अपराध किया लेकिन वे उस सभा के सदस्य थे। जो बात उन्हें बांधती है और उन्हें परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाती है, वह अभियोजन में सामान्य उद्देश्य है जिसका अपराध था।

गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। सामान्य वस्तु के अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है

तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना। उदाहरण के लिए, यदि पांच से अधिक व्यक्ति पीड़ित के घर में घुसते हैं, जहां उनमें से केवल कुछ ही हथियारबंद हैं जबकि अन्य नहीं हैं और हथियारबंद व्यक्ति हमला करते हैं, तो निहत्थे व्यक्ति भी परोक्ष रूप से हमला करते हैं।

6 एससीसी 73

उन सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी। ऐसे में ऐसी स्थिति में सामान्य वस्तु के अस्तित्व का पता लगाना मुश्किल नहीं हो सकता है क्योंकि सभी व्यक्ति घर में घुस गए थे

और यह निश्चितता के साथ मूल्यांकन किया जा सकता है कि सभी को सामान्य उद्देश्य द्वारा निर्देशित किया गया था, जिससे उनमें से प्रत्येक उत्तरदायी हो गया था। इस प्रकार जब सभा का गठन करने वाले व्यक्तियों को समान रुचि दिखाई जाती है, जिसके अनुसरण में उनमें से कुछ सशस्त्र होते हैं, जबकि अन्य इतने सशस्त्र नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे निहत्थे व्यक्ति यदि एक ही सामान्य उद्देश्य साझा करते हैं, तो वे इसके लिए उत्तरदायी हैं।
सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य।

दुर्भाग्यपूर्ण रात को मृतक के घर में प्रवेश करना स्वीकार किया जाता है। यह भी पाया गया है कि उनमें से प्रत्येक अलग-अलग हथियारों से लैस था और उनमें से दो धारदार हथियारों से लैस थे। जहाँ तक अन्य तीन अभियुक्तों यानी वर्तमान उत्तरदाताओं का संबंध है, पहले अभियुक्त के पास बल्लम था जबकि अन्य दो के पास लाठियाँ थीं। यह सच है कि मृतक व्यक्ति पर केवल दो चोटें थीं जो मृत्यु का कारण थीं। इस हद तक कि धारदार हथियारों से लैस व्यक्तियों को मौत के लिए जिम्मेदार पाया गया था, यह भी विवादित नहीं है

या चुनौती दी गई। अभिलेख पर साक्ष्य पूरी तरह से यह स्थापित करता है कि वर्तमान उत्तरदाता उन दो अभियुक्त व्यक्तियों के साथ भी थे जो अपराध के लिए जिम्मेदार पाए गए थे और वे सभी आधी रात के आसपास मृतक के घर में घुस गए थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह घटना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं हुई थी जहां एक गैर-प्रतिभागी आरोपी की उपस्थिति को, कभी-कभी, एक निर्दोष दर्शक के रूप में लेबल किया जा सकता था। उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई भूमिका स्पष्ट और विशिष्ट थी। वे रात में घर में घुस गए थे। 12. उपरोक्त मामलों में स्वीकार किए गए और निर्धारित सिद्धांतों के बल पर, उनका दायित्व पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। बस।

क्योंकि अन्य तीन अभियुक्त व्यक्ति अर्थात वर्तमान उत्तरदाता

यदि उन्होंने अपने हथियारों का उपयोग नहीं किया है तो यह उन्हें उस जिम्मेदारी और प्रत्यावर्ती दायित्व से मुक्त नहीं करता है जिस पर आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत आरोप लगाने का विचार आधारित है। आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत को लागू करने के लिए जो सामग्री स्थापित करने के लिए है वह यह है कि संबंधित व्यक्ति एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिसका सामान्य उद्देश्य एक विशेष अपराध करना था। तथ्य यह है कि पाँच व्यक्ति अलग से सशस्त्र थे और मध्य प्रदेश राज्य के घर में प्रवेश कर गए थे।

किलू @कैलाश और ओआरएस। [उदय उमेश ललित, जे।]

रात के समय मृतक स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि उनमें से प्रत्येक उस गैरकानूनी सभा का सदस्य था, जिसका उद्देश्य उस अपराध को करना था जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। उन तीनों अभियुक्तों को लाभ देने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था।

13. मृतक के घर में उत्तरदाताओं की उपस्थिति; तथ्य यह है कि वे सशस्त्र थे; तथ्य यह है कि उन सभी ने प्रवेश किया था

आधी रात के आसपास घर और आगे यह तथ्य कि उन पांच अभियुक्तों में से दो ने मृतक की मौत का कारण बनने के लिए अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, आई. पी. सी. की धारा 149 के तहत प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांतों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था।

14. उच्च न्यायालय को इस संदेह पर विचार करना उचित नहीं लगा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तरदाताओं का नाम केवल साथ में लिया गया था। अन्य अभियुक्तों के साथ। इस तरह के संदेह के लिए कोई जगह नहीं थी। चश्मदीद गवाहों अर्थात् पत्नी और बेटे की गवाही, जो एक ही घर के निवासी थे, काफी स्पष्ट और ठोस थी।

15. इसलिए, हमें इन अपीलों को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। हम, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार करते हैं -

उपस्थित उत्तरदाता नामतः किल्लू @कैलाश, देवेंद्र और कैलाश नायक चिंतित हैं। हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए उनके बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार करते हैं और उक्त प्रतिवादियों के खिलाफ 2005 के सत्र परीक्षण संख्या 173 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को बहाल करते हैं।

16. प्रत्यर्थियों को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा, जिसमें विफल रहने पर संबंधित पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेगी और उन पर लगाए गए दंड से गुजरने के लिए उन्हें हिरासत में भेजेगी। इस निर्णय की एक प्रति तत्काल अनुपालन के लिए संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।